

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
उनवानी मयंक बनाम भूमिधारी मु.सं. 129/2025

नम्बर व तारीख अहकाम ज
इस हुकम की तामीलमें जा
हुए


22-12-2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2360, 2363 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उक्त भूमि दिनांक 22.06.2015 को पूर्व खातेदारान से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था एवं तत्पश्चात उक्त भूमि वादी को दिनांक 01.04.2021 को 28 लाख 50 हजार रुपये में विक्रय कर रकम प्राप्त कर विक्रय पत्र तहरीर कराकर उपपंजीयक नीमकाथाना के यहां तस्दीक करा दिया था। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है। अतः उक्त दिनांक 01.04.2021 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2021 द्वारा खरीद ली थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि—

आदेश

ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2360, 2363 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.99 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2021 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

नीमकाथाना (सीकर)

